

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी- श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 08/2015

सायल

बनाम

गैरसायल

जिला पुलिस अधीक्षक,
बाड़मेर

हरिराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति
जाट निवासी मौखाब बस्ती,
पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

- उपस्थित:- 1. श्री अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 06.01.2021

1. सायल की ओर से दिनांक 20.10.2015 को गैर सायल हरिराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी मौखाब बस्ती, पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल बदमाश व शराब तस्कर प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसकी अपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरूरी है। इसने अपने स्वार्थ सिद्ध करने व वर्चस्व कायम करने के लिए शराब की तस्करी को पेशा बना रखा है जो आमजन के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने पर आमादा हैं। यदि कोई व्यक्ति इस बदमाश का विरोध करता है, तो यह बदमाश अपने सहयोगियों की सहायता से उसको धमकाता है तथा इस बदमाश से आम इतना भयभीत हैं कि इसके खिलाफ गवाही देने से कतराता है, अथवा रिपोर्ट करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। उक्त शक्स गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण



fle
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (iii) में परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरुद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए हैं—

क्र. सं.	मु. न. व दिनांक	धारा	पुलिस थना	चालान नं. व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	12/06.01.10	19/54 Excise Act	कोतवाली बाड़मेर	09/30.01.10	सजा/ 23.07.2011
2	45/24.04.14	19/54 Excise Act	सदर बाड़मेर	144/28.07.12	सजा/ 23.11.2013

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बाड़मेर जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

- हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। गैर सायल की ओर अधिवक्ता द्वारा जवाब में जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप में अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।

- गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य गवाह प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों बाबत कोई नवीनतम रिपोर्ट/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

- हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का



यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के 02 अपराध दर्ज हुए हैं जिसमें न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया जाकर परिवीक्षा का लाभ रेकर रिहा किया गया है। अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरुद्ध दोनो प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है, इसके अलावा कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बाड़मेर या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नहीं हुआ है और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया है। इसलिये गैर सायल के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (iii) के अनुसार राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अधीन कम से कम दो बार सिद्ध दोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार गैर सायल के विरुद्ध 02 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं जिसमें गैर सायल की ओर से लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति करने पर न्यायालय द्वारा परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध वर्ष 2012 के बाद भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गैर सायल के विरुद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) एवं स्पष्टीकरण में वर्णित अनुसार दोनों स्थितियां विद्यमान होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में



न्यायालय के समक्ष गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई सबूत प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर